STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800 014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800 014,
Tel : 0612-2290340, 2281545, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

बिहार सरकार

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

संचिका संख्या - SHSB/PM/317/11
पत्रांक.....5038.................

अति आवश्यक/ईमेल/फैक्स

प्रेषक : अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार

सेवा में,

सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल
सभी असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी -सह- सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति,

पटना, दिनांक..24.06.13....

विषय : संभावित बाढ़ एवं उससे उत्पन्न जलजनित महामारी के रोकथाम हेतु Halazone Tablet, ORS, ARV, ASVS एवं Bleaching Powder के साथ महामारी के अन्य आवश्यक औषधियों का भंडारण सुनिश्चित करने के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपरोक्त विषयक, आप अवगत है कि बिहार के अधिकांश जिले प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित होते है एवं जानमाल की क्षति के अलावे जलजनित रोग/महामारी फैलती है। इसके रोकथाम हेतु यह आवश्यक है कि पूर्व से प्रभावकारी कदम उठाये जाये ताकि बिमारियों का समुचित ईलाज ससमय किया जा सके। इस आपदा पर नियंत्रण हेतु राज्य के अस्पतालों में Halazone Tablet, ORS, ARV, ASVS एवं Bleaching Powder के साथ अन्य महामारी निरोधक आवश्यक औषधियों का भंडारण होना आवश्यक है।

निदेशानुसार निदेशित है कि सभावित बाढ़ से प्रभावित होने वाले जिले महामारी से निपटने के लिए आवश्यक दवाओं का भंडारण बाढ़ से पूर्व करना सुनिश्चित कर लें। जिन औषधियों/चिकित्सीय सामग्रियों का दर राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के स्तर से अनुमोदित है उनका क्रय दर अनुबंधित फर्मो से एवं जिन औषधियों/चिकित्सीय सामग्रियों का दर राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के स्तर से नहीं किया गया है उनका क्रय बिहार वित्त नियमावली (संशोधित) 2005 एवं विभागीय क्रय अनुदेशों का पालन करते हुये दवाओं का भंडारण बाढ़ से पूर्व करना सुनिश्चित करना चाहेगें।

विश्वासभाजन
ह०/-
(अपर निदेशक)

ज्ञापांक ....5038....... पटना, दिनांक....24-06-13....

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं उपरोक्त आदेश के अनुपालनार्थ प्रेंषित।
प्रतिलिपि : सभी दर अनुबंधित फर्मो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुये निदेश है कि संभावित बाढ़ के मद्‌देनजर सभी प्रकार की औषधियों की आपूर्ति जिलों के द्वारा निर्गत क्रयादेश के अनुसार व्यादेशित मात्रा में करना सुनिश्चित करें।

24/6/13
(अपर निदेशक)

बच्चे दो ही अच्छे